

1	योजना का नाम	<b>ग्रामीण हाट योजना</b>
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	योजना का उद्देश्य नये उद्यमियों विशेषतः कमजोर वर्ग के हस्तशिल्पियों व दस्तकारों को विपणन सुविधा उपलब्ध कराना है।
3	प्रारम्भ होने का वर्ष	2004-05
4	लाभान्वित वर्ग	उद्यमी
5	पात्रता	बीपीएल, स्वयं सहायता समूह, लघु उद्योग एवं आर्टिजन
6	देय सुविधाएं	विपणन हेतु सुविधा
7	आवेदन का तरीका	सादा कागज पर पात्रता प्रमाण-पत्र की प्रति के साथ संबंधित केन्द्र के प्रभारी को आवेदन
8	आवेदन कहां किया जाये	संबंधित हाट/संबंधित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, कोटा, भीलवाड़ा, राजसमन्द, झुंझुनू, उदयपुर, चित्तौडगढ़, बीकानेर, भरतपुर, दौसा व जैसलमेर में।
9	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	वर्ग/पात्रता शर्त संबंधी प्रमाण-पत्र
10	सम्पर्क सूत्र	संबंधी कार्यकारी अधिकारी, उद्यम प्रोत्साहन संस्थान, जिला उद्योग केन्द्र,
11	निर्धारित समय-सीमा	
12	निर्धारित सहायता/सुविधाएं नहीं मिलने पर शिकायत दर्ज कराने के लिए जिस अधिकारी से सम्पर्क करना है उसका नाम	संबंधित जिला उद्योग केन्द्र, जिला कलक्टर एवं आयुक्त उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर
	शिकायत कैसे दर्ज करवानी है	आवेदन पत्र में शिकायत का उल्लेख करें।
	शिकायत का समाधान होने की समय-सीमा	15 दिवस
13	बिन्दु संख्या 12 में उल्लेखित अधिकारी से भी शिकायत का समाधान न होने पर जिस अधिकारी से सम्पर्क करना है उसका नाम	आयुक्त उद्योग विभाग राजस्थान, जयपुर
	शिकायत कैसे दर्ज करवानी है	आवेदन पत्र में शिकायत का उल्लेख करें।
	शिकायत का समाधान होने की समय-सीमा	एक माह
14	योजना अन्तर्गत देय आर्थिक सहायता क्या बैंक में जमा होगी अथवा ड्राफ्ट/चैक के द्वारा दी जावेगी।	वर्तमान में योजना अन्तर्गत आर्थिक सहायता का प्रावधान नहीं है यदि कोई आर्थिक सहायता दी जाती है तो डिमाण्ड ड्राफ्ट/चैक के द्वारा दी जावेगी।
15	यदि सहायता राशि बैंक में जमा होगी तो खाता खोलने के लिए किससे संपर्क करना है	बैंक में खाता अपने स्तर पर ही खुलवाना होगा।
16	कैसे जानकारी होगी कि राशि खाते में जमा हो गई है	संबंधित जिला उद्योग केन्द्र से सम्पर्क करना होगा।
17	योजना के अन्तर्गत क्या ऑनलाईन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है	समय-समय पर ऑनलाईन आवेदन करने हेतु निर्देश दिये जाते हैं
	यदि हां, तो वेबसाईट का पता	<a href="http://www.rajind.rajasthan.gov.in">www.rajind.rajasthan.gov.in</a>